उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-60/2016/1762/92-2-16-01जांच/2008
लखनऊ:: दिनांक:: 03 अक्टूबर ,2016

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया के अंतर्गत बाढ़ राहत योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं शासकीय धनराशि के गबन/दुरूपयोग के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-10-2009 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री राकेश कुमार अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.07.2015 द्वारा श्री राकेश कुमार के विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 28.12.2012 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित सभी आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में सिद्व पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 18.03.2013 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 02.07.2015, 28.08.2015 एवं 26.10.2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी, श्री राकेश कुमार के विरूद्व अधिरोपित 11 आरोपो में से पायी गयी शासकीय धनराशि में से श्री राकेश कुमार रू0 8,33,052.00 की धनराशि की शासकीय क्षति के लिये उत्तरदायी है। अतएव शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड के प्रस्ताव पर पत्र दिनांक 09.08.2016 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09-09-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की है :-

" श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में घटित शासकीय क्षति में से रू0 8,33,052.00 (रू0 आठ लाख तेतीस हजार बावन मात्र) की वसूली श्री राकेश कुमार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवानैवृत्तिक देयकों यथा- पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किये जाने तथा यदि, यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना संभव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-10-2009 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-07-2015 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया है, में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

> " श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में घटित शासकीय क्षति में से रू0 8,33,052.00 की वसूली श्री राकेश कुमार के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा- पेंशन एवं ग्रेच्युटी से की जाय, यदि यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना संभव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 60/2016/1762(1)/92-2-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री राकेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया सम्प्रtr सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-64/2/एडीसी/एस-12/2016-17 दिनांक 09-09-2016 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in